प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2022**

प्र.इ.रि.सं.......24/22.......दिनांक.......28/1/22.......

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स........–...............धारायें............. –.........................
   (3) अधिनियम ....–..............................धारायें..........................–....................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये...–..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....657.......समय.........2:00 P.M.........

   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 27.01.2022 समय 11.33 पी.एम.

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 17.12.2021 समय 01.15 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय परिसर, शेरगढ जिला जोधुपर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पश्चिम, करीब 120 कि0मी0

(ब) पता :– तहसील कार्यालय परिसर, शेरगढ जिला जोधुपर।

....बीट सख्या................–..................जरायमदेही सं...–......

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–.............................जिला..............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– चैनसिंह

   (ब) पिता का नाम : श्री रेंवत सिंह

   (स) जन्म तिथि : 33 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय

   (य) पासपोर्ट सख्या..................–..जारी होने की तिथि ...–...........

   जारी होने की जगह ....–...

   (र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी

   (ल) पता :– निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   01. श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण

   ....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

   ....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि ....1,000/– रूपये..

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर ग्रामीण।

विषय – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी चैन सिंह पुत्र श्री रेंवत सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तह0 शेरगढ जिला जोधपुर का रहने वाला हूँ। हमारी सामलाती कब्जा काश्त भूमि खसरा सं0 1905 रकबा 81.02 ग्राम हनवन्त नगर पटवार क्षेत्र सिहांदा में आई हुई है। जिसमें से मेरे हिस्से में 20.05 बीघा जमीन है। मैने मेरी उक्त जमीन में से 0.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोग हेतु ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के हित में दान की गई थी। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के हित में दान की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज कर उसे आनलाईन चढाने हेतु हल्का पटवारी श्री परसाराम से सम्पर्क किया तो श्री परसाराम हल्का पटवारी से मेरे द्वारा ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के हित में दान की गई जमीन का नामान्तरण दर्ज कर उसे आनलाईन चढाने के बाद उसकी नकल जारी करने की एवज में 5,000/– रू0 रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं मेरे जायज कार्य के लिये पटवारी श्री परसाराम पटवार हल्का सिहांदा को कोई रिश्वत राशि नहीं देकर उसके रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री परसाराम पटवारी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं हैं और न ही कोई रूपयों का देन–लेन बाकी हैं।

रिपोर्ट पेश करता हूं कानूनी कार्यवाही करावें।

सही/– स्वतन्त्र गवाह श्री ओम प्रकाश	सही/– श्री ललीतसिंह	सही/– (अमराराम खोखर) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	प्रार्थी सही/– चैन सिंह पुत्र श्री रेंवत सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तह0 शेरगढ जिला जोधपुर। मोबाईल नं0 9571437309

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 17.12.2021 को वक्त 01.00 पी.एम. पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने जरिये मोबाईल मन् निरीक्षक पुलिस को निर्देशित किया कि परिवादी श्री चैनसिंह गोपनीय कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित आ रहे हैं आप परिवादी श्री चैनसिंह द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करें। वक्त 01.15 पी.एम. पर यह लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री चैन सिंह पुत्र श्री रेंवत सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तह0 शेरगढ जिला जोधपुर ने व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की व दरियाफ्त पर बताया कि हमारी सामलाती कब्जा काश्त भूमि खसरा सं0 1905 रकबा 81.02 ग्राम हनवन्त नगर पटवार क्षेत्र सिहांदा तहसील शेरगढ में आई हुई है। जिसमें से मेरे हिस्से में 20.05 बीघा जमीन है। मैने मेरी उक्त जमीन में से 0.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोग हेतु ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के हित में दान की गई थी। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के हित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दान की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी श्री परसाराम से सम्पर्क किया तो श्री परसाराम हल्का पटवारी ने मेरे द्वारा ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के हित में दान की गई जमीन का नामान्तरण दर्ज कर नकल जारी करने की एवज में 5000/– रू0 रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं श्री परसाराम पटवारी, पटवार हल्का सिंहादा को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री परसाराम पटवारी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं और न ही किसी तरह का लेन–देन है। रिपोर्ट करता हूं कानुनी कार्यवाही करें। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाता है। जिस पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 01.35 पी.एम. पर कार्यालय के कानि. श्री संजय 587 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कानि. श्री संजय को परिवादी श्री चैनसिंह से परिचय करवाकर डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री चैनसिंह एवं श्री संजय कानि. को डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाया गया। परिवादी श्री चैनसिंह ने बताया कि आज वापिस शेरगढ पहुंचने तक काफी समय लग जायेगा। इसलिये कल दिनांक 18.12.2021 को ही पटवारी श्री परसाराम से मांग सत्यापन वार्ता हो सकेगी। जिस कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर पुनः कार्यालय की सुरक्षित अलमारी में रखा गया एवं परिवादी श्री चैनसिंह